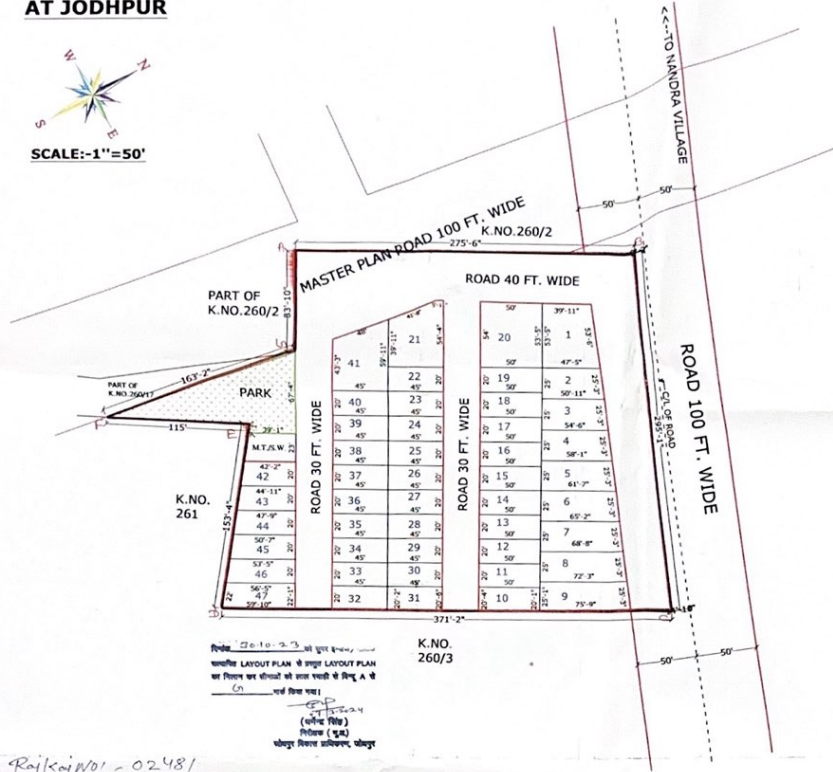


LAY OUT PLAN OF KHASRA NO. 260/15,260/16,260/17 VILLAGE NANDRA KALLAN AT JODHPUR



Raj/Koj/NO. - 0248/

एजेण्डा संख्या 08 :- JKA/NO. (P)/Z-01/21102/24

483

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.02.2024	जोन-1	नान्दडा कला	260/15, 260/16 व 260/17 वगैराह	ख.नं 260/15 रकबा 02.01.00 बीघा, ख.नं 260/16 रकबा 02.01.00 बीघा, ख.नं 260/17 रकबा 02.01.00 बीघा मे से 01.11.00 बीघा, कुल रकबा 05.13.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	1. श्री रामनिवास जागिड़ पुत्र श्री पीथाराम जागिड़, 2. श्रीमती नैनीदेवी सोनी पत्नी श्री दिनेश कुमार व 3. श्री रवताराम पुत्र श्री प्रहलादराम				
विषय-	राजस्व ग्राम नान्दडा कला के खसरा संख्या 260/15, 260/16 व 260/17 वगैराह कुल रकबा 05.13.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया-				

1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई पूर्व कमिटेन्ट अनुसार 30 मीटर रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 15 मीटर भूमि में आ रही प्राथी की भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु नि:शुल्क समर्पित करवायी जाये।
2. आवेदित भूमि में से गुजर रही जौनल डवलपमेन्ट प्लान की 30 मीटर सड़क को ले-आउट प्लान में दर्शाया जाये।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जाये।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जाये।
5. योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर खमतीमक जमत् ज्दा का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा।
6. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जाये।
7. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर मूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्राथी की स्वयं की होगी। प्राथी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जाये कि प्ररनगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जाये।
9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

Deewan Singh
नगर विकास अधिकारी
जोधपुर

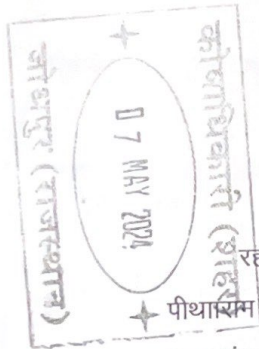
15/3/24
विश्वनाथ (अधीनस्थ)
जोधपुर विकास अधिकारी
जोधपुर

जोधपुर विकास अधिकारी
जोधपुर



राजस्थान RAJASTHAN

AA 256787



रहन नामा (Mortgage Deed)

रहन-नामा एक लिख देते है कि 1. रामनिवास जांगिड पुत्र श्री जांगिड, उम्र 53 वर्ष, जाति जांगिड निवासी-खातियों की ढाणी, ग्राम मंगलीयावास जोगीमगरा जिला नागौर 2. श्रीमति नैनी देवी सोनी पत्नी श्री दिनेश कुमार, उम्र 40 वर्ष, जाति सोनी, निवासी- शाक्ति नगर, गोटेन तहसील मेडता सिटी जिला नागौर 3. रेवत राम पुत्र श्री प्रहलाद जी , उम्र 37 वर्ष, जाति सोनी, निवासी नगर, गोटेन तहसील मेडता सिटी जिला नागौर जिन्हें इस दस्तावेज में प्रथम पक्षकार के नाम से सम्बोधित किया जायेगा,

बहक

सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जिन्हें आगे इस दस्तावेज में द्वितीय पक्षकार के नाम से सम्बोधित किया जावेगा के पक्ष में यह दस्तावेज निम्न प्रकार से तहरीर व तकमील कर देते है कि :-

NOTARY JODHPUR 07/06/24 2

उपायुक्त ()
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

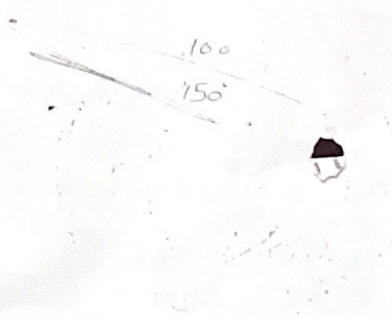
5000
01020 07/6/24
पदीप चौधरी 5/0
गजगज चौधरी
नांदरी लनाड, जोधपुर
मौरगज डीड स्वयं

पदीप

गजगज

कच हंतु जारी प्रमाणित फोटो प्रति

उपायुक्त ()
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



1. यह है कि प्रथम पक्षकारान् की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 260/15 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 260/16 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, एवं खसरा संख्या 260/17 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम नान्दडा कलां, तहसील व जिला जोधपुर में आई हुई है।
2. यह है कि उक्त कृषि भूमि का जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट दिनांक- 09/02/2024 को अनुमोदित किया जा चुका है तथा 90-ए की कार्यवाही दिनांक- 10/12/2023 को पूर्ण हो चुकी है।
3. यह है कि टाउनशिप पॉलिसी में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप आन्तरिक विकास कार्य के बाबत् 12.5 प्रतिशत भूखण्ड द्वितीय पक्षकार के पास रहन रखे जाने है। इस आवासीय कोलोनी में आन्तरिक विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 एक्ट के नियम 12 के अधीन विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है अन्यथा विकास नहीं करने पर भूखण्डों को विक्रय हेतु प्राधिकरण अधिकृत होगा।
4. यह है कि उक्त यह है कि प्रथम पक्षकार की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 260/15 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 260/16 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, एवं खसरा संख्या 260/17 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम नान्दडा कलां, तहसील व जिला जोधपुर के अनुमोदित ले-आउट प्लान में से 12.5 प्रतिशत भूखण्ड का विवरण निम्न है :-



क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	भूखण्डों का क्षेत्रफल (वर्गगज में)
1.	32	100
2.	42	95.9
3.	43	102.23
4.	44	409.55
5.	45	115.77
6.	46	122.22
7.	47	141.93
	कुल	787.6 वर्गगज

Pranav

*रजत
जोशी*

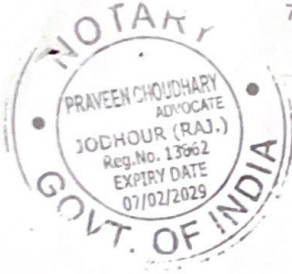
AC

उक्त हेतु जारी प्रमाणित फोटो प्रति

६५

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

5. यह है कि आवासीय योजना में आन्तरिक विकास 1 वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा। यदि उक्त समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने पर ULB 10 प्रतिशत प्रचलित कनवरसेशन चार्ज वसूल कर कार्य हेतु 2 वर्ष की समय सीमा बढ़ा दी जायेगी।
6. यह है कि उपरोक्त वर्णित सारणी के भूखण्डों को मैं प्रथम पक्षकार टाउनशिप पॉलिसी में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप आन्तरिक विकास कार्य के बाबत 12.5 प्रतिशत भूखण्डों के अन्तर्गत द्वितीय पक्षकार के पास रहन रख रहा हूँ।
7. यह है कि उक्त भूखण्डों को आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने की अवधि तक के लिये रहन रखा गया है। जो आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात् द्वितीय पक्षकार नियुक्त कर्मचारी की रिपोर्ट के पश्चात् द्वितीय पक्षकार रहन मुक्त कर सकेंगे तत्पश्चात् ही उक्त 12.5 प्रतिशत भूखण्डों के पट्टे प्रथम पक्षकार प्राप्त करने की अधिकारी रहेगा।



लिहाजा यह रहननामा प्रथम पक्षकार ने उपरोक्त वर्णित भूखण्ड संख्याओं के बाबत आज दिनांक- 07.06.2024 को द्वितीय पक्षकार- सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के हक में राजी खुशी अकल होशियारी से बिना किसी नशे पते एवं बिना किसी दबाव के पडकर सुनकर निष्पादित कर दिया है, जो लिखे माफिक सही है व सनद रहे तथा वक्त जरूरत काम आवे।

[Signature] *[Signature]*

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार

साख 1 मैं प्रीति चौधरी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री राजेश चौधरी
उम्र 25 वर्ष, जाति जाट निवासी- 148 शिव शक्ति नगर
मंदरी, जोधपुर

साख 2 मैं विनेश मोहन पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री उदयलाल मोहन
उम्र 45 वर्ष, जाति भोजपुरी निवासी- मोहन व मेहनत
विकास लिमिटेड

ATTESTED

[Signature]

सकल हतु जारा प्रमाणित फोटो प्राप्ति

44
उपायुक्त ()
जोधपुर विकास प्राधिकरण
भारत